भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)\* \* \*

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 91

(दिनांक 05.12.2013 को उत्‍तर के लिए)

**मैसर्स आई.एल., के. के अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें**

91. श्री जय प्रकाश नारायण सिंह:

श्री सालिम अन्‍सारी

क्‍या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या केंद्रीय सतर्कता आयोग को मैसर्स इंस्‍ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (आई एल, के) के अधिकारियों के विरूद्ध एस एस आई यूनिट्स द्वारा आपूर्ति किए गए माल के विरूद्ध जानबूझ कर उनके भुगतान को रोकने के लिए धोखाधड़ी करने की शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं; यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(ख) इस केंद्रीय सतर्कता आयोग मैसर्स आई.एल., के. के अधिकारियों के विरूद्ध कपट, धोखाधड़ी और कर्तव्‍य की अवहेलना करने के लिए मामले दर्ज करवाने की सिफारिश करने का विचार रखता है?

**उत्‍तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री वे. नारायणसामी)**

(क) : केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को मैसर्ज इंस्‍ट्रूमेंटेशन लि. (कोटा) के अधिकारियों के विरूद्ध 35 (पैंतीस) लघु उद्योगों को देय भुगतान न किए जाने से संबंधित दो (02) शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं।

(ख): केंद्रीय सतर्कता आयोग की शिकायत निपटान नीति के अनुसार दिनांक 22.07.2013 की शिकायत को दिनांक 19.08.2013 के पत्र संख्‍या 22458/2013/सतर्कता द्वारा भारी उद्योग विभाग को तथा दिनांक 09.09.2013 की शिकायत को दिनांक 26.09.2013 तथा 03.10.2013 के पत्र संख्‍या 26267/2013/सतर्कता/228219 के द्वारा भारी उद्योग विभाग तथा इंस्‍ट्रूमेंटेशन लि. कोटा के मुख्‍य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) को आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया है।

\* \* \*